

प्रेषक,

अरविन्द सिंह ह्यांकी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 24 अप्रैल, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 63 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 उत्तराखण्ड द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणान्तर्गत संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 63 कार्यों के प्रारम्भिक आगणनों पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 3726.21 लाख (रू सैंतीस करोड़ छब्बीस लाख इक्कीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में संलग्नक के कॉलम सं0-5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात् कुल 63 कार्यों हेतु ₹ 6.30 लाख (रू छः लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निर्वर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/111(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2008 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मेनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:- 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22-लेखाधीर्शक-5054 सड़कों तथा संतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- आयोजनागत-800-अन्य व्यय-05-सड़क/भवन/संतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण -00-24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित निर्वर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2016 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाइन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं०-22-लेखापीरंक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूजागत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800-अन्य व्यय-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य के नामे उाला जायेगा।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या- 36/XXVII(2)/2015 दि०- 22 अप्रैल, 2015 को प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
अपर सचिव

संख्या- 2724 / 111(2)/15-05(मु०म०घ०)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि., उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री घोषणा अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा/से,
(१०१२०-पारिती)
उप सचिव

शासनादेश संख्या- 2724/111(2)/15-05(मु0म0घ00)/2015 दिनांक 24 अप्रैल, 2015 का संलग्नक

11	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-852/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-कपकोट के जिला पंचायत क्षेत्र खुनीली के ग्राम ग्वातोली में करीमपुर से ग्राम मउडियार तक मोटर मार्ग तथा स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी श्री राम दत्त जोशी के गांव को बनलेख मोटर मार्ग से मिलाने हेतु मार्ग का निर्माण कार्य।	2.00	21.78	0.10
12	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-863/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में ग्राम पंचायत जाख में खीरी नामक स्थान पर 40 मी पैदल लोह सतु का निर्माण कार्य।	40 mt	5.58	0.10
13	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-803/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में गढ़खेत मोटर मार्ग के स्थान पर सोलिया बजानी से गैजुलिया 5.00 किमी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	5.00 + 1 No	94.75	0.10
14	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-802/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में मल्ला गढ़खेत से तल्ला गढ़खेत तक 4.00 कि.मी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	75.24	0.10
15	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-862/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में लाहूर नदी में ग्राम पंचायत नैकाना खुमाटिया, कालरी, बैगांव, छानिसरा व दाडिमखेत के मध्य झूला पुल का निर्माण कार्य।	70 mt	6.78	0.10
16	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-798/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में टुकरा से सैलकुना तल्ला गढ़खेत तक 8.00 कि.मी. मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	8.00 + 02 Brg	151.88	0.10
17	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-864/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में घाघली नदी में ग्राम मवई, बज्यूला, अमस्यारी, घेटी व भिलकोट के मध्य 80 मी. झूला पुल का निर्माण कार्य।	80 mt	8.98	0.10
18	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-857/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में टिटोली से बूंगा तक 2.00 कि.मी. लिंक मोटर मार्ग का निर्माण।	2.00 + 35 mt	37.62	0.10
19	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-866/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में ग्राम अमस्यारी के टिटोली तोक के ग्राम पंचायत बूंगा तक 5.00 कि.मी. मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।	5.00	94.05	0.10
20	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-863/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में टुकरा से सैलकुना- गढ़खेत मोटर मार्ग का 15.00 किमी. नवनिर्माण का कार्य।	15.00	282.15	0.10
21	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-804/2014 के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र-बागेश्वर में गरुड़ बागेश्वर मोटर मार्ग में स्थान फटगली से घमोली, मालूणल-ओखल्लों 10.00 किमी0 मोटर मार्ग का निर्माण।	10.00	148.50	0.10

शासनादेश संख्या:- २७२४/111(2)/15-05(मु0मं0घो0)/2015 दिनांक २१ अप्रैल, 2015 का संलग्नक

59	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-442/2015 के अन्तर्गत जनपद पीडी के विधान सभा क्षेत्र-यमकेश्वर के अन्तर्गत जोलधार से सार तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	1.50	20.66	0.10
60	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-450/2015 के अन्तर्गत जनपद पीडी के विधान सभा क्षेत्र-यमकेश्वर के अन्तर्गत चरेख-बरगांव मोटर मार्ग का विस्तार कार्य।	5.00	70.65	0.10
61	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-744/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र-प्रतापनगर के अन्तर्गत घनसाली-टिहरी-प्रतापनगर से जखिण्डा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	4.00	62.15	0.10
62	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 625/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र -रायपुर में नवगठित ग्राम सभा मगलूवाला में बारातघर व सड़कों का निर्माण कार्य।	-	1.92	0.10
63	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0-600/2014 के अन्तर्गत जनपद देहरादून में विधानसभा क्षेत्र-रायपुर में मालापानी राय माले पर दो लेन सेतु का निर्माण कार्य।	1 No.	4.95	0.10
	योग:-	311.00 + 16 Brg	3726.21	6.30

(कुल ₹ छः लाख तीस हजार मात्र)

(ए0एस0 पांगती)
उप सचिव


सहायक अभियन्ता
निर्माणखण्ड लो0 नि0 वि0
कपवाँट

३
२६